अंचल अधिकारी गोविन्दपुर का कार्यालय

अभिलेख वाद संख्या– 09/2017-18.

वाद का प्रकार– बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधि0 1950 की धारा 4(h) के तहत् जांच एवं कार्रवाई से संबंधित।

11.07.16

झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक–2074/रा0, दिनांक–13.05.2016 सहपठित–श्री अनुज मुखर्जी, निदेशक, भू–अर्जन–सह–विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या–3–खा0म0निति–119/85/2308/रा0, दिनांक–03.09.1985 एवं सह–पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या–914/रा0, दिनांक–09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जामबंदियों की जांच प्रारंभ की गयी। जांच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं अ0नि0द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :–

मौजा– बागसुमा थाना– 197 खाता संख्या– 50 प्लॉट संख्या– 217 रकवा– 13 डी0 एकड़ की भूमि जो गैरमरूआ खास, अनावाद बिहार (झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी–II के जिल्द संख्या– VIII के पृष्ठ संख्या– 559, मर जमाबंदी रैयत महेश रजवार पिता प्रभु रजवार के नाम से कायम है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरिक्षक द्वारा जांचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरूद्ध कायम जामबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरिक्षक द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/ अवैध बंदोवस्ती के आधार पर/ अवैध कोड़कर बंदोवस्ती के अधार पर/ अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/ सादा हुकुमनामा के आधार पर, कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।

प्रथम दृष्ट्या उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत् जांच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।

अतएव, संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू–खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण–पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत् सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।

अभिलेख दिनांक– 19.07.16 को उपस्थापित करें।

लेखापित एवं संशोधित

अंचल अधिकारी

11/07/16

अंचल अधिकारी

L:\Sec 5 New\Awaidh Jamabandi.docx

13.1.18 अभिलेख उपस्थापित। हल्का कर्मचारी/प्रभारी अंचल निरीक्षक के जॉच प्रतिवेदन, नक्शा चौहदी सहित, जमाबंदी रैयत के वंशजो द्वारा समर्पित राजस्व कागजात/शपथ पत्र/स्वधोषणा पत्र एंव संधारित पंजी II के पृष्ठ संख्या 559 जमाबंदी रैयत जद्दलु रजवार पिता लखु रजवार के नाम से दर्ज है। प्राधिकार कॉलम में जबरदखल केस नं०-216/64-65 खाता 50 प्लॉट 217 रकवा 13 डी० अंकित है। लगान रसीद वर्ष — से निर्गत होने का विवरण है। उक्त संकल्प के आलोक में जो वर्ष 1985 से पुर्व का सिद्ध करता है। साथ ही जमाबंदी रैयत का शपथ पत्र में उल्लेखित नामित उत्तराधिकार के रूप में

1. श्री सुरज प्रसाद पिता स्व० गरमा रजवार

2. श्रीमती फुलकुमारी देवी पति काली रजवार

का प्रश्नगत सरकारी भू-खण्ड पर कृषि/आवासीय के रूप में दखलकार है। उक्त नामित उत्तराधिकारी जमाबंदी रैयत के वंशज सरकारी नौकरी/आयकर दाता के श्रेणी में नहीं है। इनके पास कुल धारित रकवा-2.00 एकड़ से कम/अधिक है।

उपरोक्त विवेचना के आलोक में झारखण्ड सरकार रॉची द्वारा निर्गत संकल्प में निहित शर्तो को पुरा करता है। इस आधार पर उक्त जमाबंदी को वर्त्तमान उत्तराधिकारियों 1. श्री सुरज प्रसाद पिता स्व० गरमा रजवार 2. श्रीमती फुलकुमारी देवी पति काली रजवार के नाम से नियमितिकरण करने की अनुशंसा की जाती है। अग्रेतर कार्रवाई हेतु अभिलेख मूल में भूमि सुधार उप-समाहर्ता, धनबाद को भेजे।

13/01/18

अंचल अधिकारी
गोविन्दपुर

17·01·18

पुनःश्च अभिलेख उपस्थापित। उक्त अभिलेख में दर्ज गत सर्वे खतियान के अनुसार मौजा वागसुमा थाना सं० 197 खाता सं० 50 प्लॉट सं० 217 रकवा 13 डी० का हाल सर्वे खतियान के अनुसार नया खाता 575 नया प्लॉट सं० 199 रकवा 13 डी० भूमि मुख्य मार्ग से 150 मीटर की अधिक दूरी पर अवस्थित है। पूर्व में बन्दोवस्ती नहीं मिली हैं। उक्त वर्णित भू–खण्ड को जमाबंदी रैयत के उत्तराधिकार श्री सुरज प्रसाद पिता स्व० गरमा रजवार एवं अन्य के नाम से नियमितीकरण करने की अनुशंसा की जाती है।

अग्रेत्तर कार्रवाई हेतू अभिलेख मूल में भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, धनबाद को भेजें।

17/01/18

अंचल अधिकारी
गोविन्दपुर